



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 28.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से अवैध 08.90 ग्राम स्मैक व 58.68 ग्राम सुल्फा एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 03 मोबाईल फोन तथा 2,21,235 रुपये बरामद।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार



किया गया है, जिसके कब्जे से अवैध 08.90 ग्राम स्मैक व 58.68 ग्राम सुल्फा एवं एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व 03 मोबाईल फोन तथा 2,21,235 रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नदीम उर्फ बिल्डर पुत्र बाबू निवासी सर्कुलर रोड कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत हाल निवासी मौहल्ला किदवई नगर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 158/16 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बडौत जनपद बागपत।

2-मु0अ0सं0 244/16 धारा 110 जी थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 525/16 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम व 3/11 पशु क्रूरता थाना बडौत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 619/16 धारा 3(2) एनएसए थाना बडौत जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 934/17 धारा 147/148/149/324/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

6-मु0अ0सं0 20/20 धारा 147/148/149/323/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

7-मु0अ0सं0 412/19 धारा 307/323/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

8-मु0अ0सं0 1286/18 धारा 323/504/506 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

9-मु0अ0सं0 627/21 धारा 307/323/504 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत ।

10-मु0अ0सं0 1039/22 धारा 323/452/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

11-मु0अ0सं0 206/26 धारा 8/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- अवैध 08.90 ग्राम स्मैक व 58.68 ग्राम सुल्फा ।
- एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा एवं 03 मोबाईल फोन ।
- 2,21,235 रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-म0उ0नि0 कीर्ति थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-म0उ0नि0 रीतू काजल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 5-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 6-का0 399 राहुल थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 7-का0 666 रघुवीर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 8-का0 301 मुलायम थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 28.03.2026

थाना बडौत पुलिस ने मोबाईल, डेबिट कार्ड व सिम कार्ड के माध्यम से लोगों से साईबर फ्रॉड कर पैसों की ठगी करने वाली 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 03 मोबाईल फोन, 04 डेबिट कार्ड व 05 सिम कार्ड बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत



पुलिस द्वारा मोबाईल, डेबिट कार्ड व सिम कार्ड के माध्यम से लोगों से साईबर फ्रॉड कर पैसों की ठगी करने वाली 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 03 मोबाईल फोन, 04 डेबिट कार्ड व 05 सिम कार्ड बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1-नदीम पुत्र अल्लाउद्दीन निवासी कबीरपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

2-अजीम पुत्र जुनैद निवासी ग्राम ईदरीशपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

3-नहीम पुत्र निज्जामुद्दीन निवासी कबीरपुर थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण:-

- 03 मोबाईल फोन, 04 डेबिट कार्ड व 05 सिम कार्ड ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उप निरीक्षक आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 633 रुस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 647 प्रवीन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक 28.03.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1) बीएनएस तरमीम धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.03.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री प्रमोद कुमार पुत्र स्व. रामपाल सिंह ग्राम भैसवाल थाना गढीपुख्ता जनपद शामली ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1-



अनिल कुमार (पति), 2- शान्तनु (देवर) पुत्रगण स्व0 सुदेश, 3-01 महिला निवासीगण ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी बहन की हत्या कर दी गयी है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1) पंजीकृत किया गया ।

नोट- उक्त अभियोग विवेचना को दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 103(1) बीएनएस से धारा 108 बीएनएस में तरमीम हुआ है ।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 80/26 धारा 103(1) बीएनएस तरमीम धारा 108 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनिल पुत्र सुदेशपाल निवासी ग्राम धनौरा सिल्वरनगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री राकेश कुमार शर्मा थाना बिनौली ।
- 2- उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना बिनौली ।
- 3- है0का0 481 गुरदीप कुमार थाना बिनौली ।
- 4- है0का0 714 रविन्द्र थाना बिनौली ।
- 5- है0का0 525 दीपक भाटी थाना बिनौली ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 28.03.2026

थाना सिंघावली अहीर में दाखिल 12 मुकदमाती, 03 एमवीएक्ट व 02 लावारिस वाहनों कुल 17 वाहनों (कीमत 04 लाख 97 हजार) की नीलामी के सम्बन्ध में-

कार्यवाही-

दिनांक 28.03.2026 को माननीय न्यायालय बागपत के आदेशानुसार थाना सिंघावली अहीर पर दाखिल 12 मुकदमाती वाहन, 03 एमवी एक्ट व 02 लावारिस वाहनों कुल 17 वाहनों की नीलामी नायब तहसीलदार बागपत, प्रभारी निरीक्षक थाना सिंघावली अहीर की उपस्थिति में की गई।

उक्त नीलामी में

जनपद बागपत व आस पास के जनपदों के कबाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मुकदमाती 12 वाहनों, 03 एमवीएक्ट व 04 लावारिस वाहनों कुल 17 वाहनों (कुल कीमत 04 लाख 97 हजार रुपये) की नीलामी की गई।

